राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 194/2024

सत्यनारायण मीना —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त आयुक्त, संयुक्त शासन सचिव प्रशासनिक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सवाईमाधोपुर।
4. खण्ड विकास अधिकारी, बौंली, जिला सवाईमाधोपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.01.2024
आदेश की दिनांक : 04.09.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री टी.सी. व्यास, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री राजेश कुमार निगम, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण), अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त अपीलों की ग्राह्यता पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रत्यर्थी पंचायती राज विभाग में प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर पातेय वेतन योजना के तहत हुई थी। तत्पश्चात अपीलार्थी की सहायक अभियन्ता के पद पर होने पर दिनांक 10.07.2013 को पंचायत समिति बौंली में कार्यभार ग्रहण किया। वर्ष 2013–14 में सरकार द्वारा गरीब लोगो के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में योजना शुरू की गई और प्रत्येक पात्र व्यक्ति को 1000 रुपये वितरित किए गए। मुकेश नाम के व्यक्ति से शिकायत प्राप्त होने के बाद प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 15.09.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ 61,95,250/– रुपये की वसूली का आदेश जारी किया गया, ताकि इसे सरकार के खाते में जमा किया जा सके। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया परन्तु अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विचार नहीं किया गया (अनुलग्नक–2)। प्रत्यर्थी विभाग ने वसूली, जांच और आरोप ज्ञापन के माध्यम से उपरोक्त वसूली आदेश में अपीलार्थी के दोष को निर्धारित किया, लेकिन अपीलार्थी के कार्यग्रहण आदेश दिनांक 10.07.2013 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 21.10.2014 (अनुलग्नक–3) द्वारा पता चलता है कि अपीलार्थी ने विभाग के साथ कम अवधि ही

कार्य किया था, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने इन सभी बातों को नजर अंदाज कर दिया और रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत वसूली आदेश पारित कर दिया। विभाग ने कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से अपीलार्थी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करते हुए आदेश दिनांक 06.04.2022 द्वारा अपीलार्थी को तीन वार्षिक वेतन वृद्धि बिना संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। जारी आरोप का ज्ञापन एवं दण्डादेश दिनांक 09.06.2021 अनुलग्नक–4 पर उपलब्ध है। प्रत्यर्थी विभाग ने पैतृक विभाग की मंजूरी के बिना क्षैत्राधिकार के परे असक्षम अधिकारी द्वारा जांच की थी और इस जांच रिपोर्ट में जांच सदस्यों की रिपोर्ट 01.04.2014 से 31.12.2015 तक दी गई थी, जबकि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2015 की अवधि में विभाग में उस स्थान पर कार्य नहीं किया गया (अनुलग्नक–5)। प्रत्यर्थी विभाग ने उन व्यक्तियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की थी, जो उस मामले में धोखाधड़ी में शामिल थे और प्रत्यर्थी विभाग ने उन व्यक्तियों से कुछ राशि वसूल की थी। एफ.आई.आर. अनुलग्नक–6 पर उपलब्ध है। कार्यालय आदेश दिनांक 01.09.2016 और 07.092016 द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने दोषी व्यक्ति के खिलाफ एफ. आई.आर. दर्ज करने के लिए प्राधिकारी से अनुमति मांगी (अनुलग्नक–7)। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पत्र के माध्यम से उन व्यक्तियों को नियुक्त किया जिनके द्वारा पेंशन का कार्य एवं राजकीय राशि गलत हाथों में हस्तान्तरण का कार्य किया है (अनुलग्नक–8)। अपीलार्थी की वर्ष 2013–14 की कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट से यह साबित है कि अपीलार्थी सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत था तथा अतिरिक्त प्रभार के कारण वह खंड विकास अधिकारी बौंली के पद पर कार्यरत था (अनुलग्नक–9)। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा वृद्धजन, विधवा, विकलांग व्यक्ति के लिए पेंशन वितरण के तरीके हेतु एक चार्ट तैयार किया गया (अनुलग्नक–10)। प्रत्यर्थी विभाग ने पैतृक विभाग को उन व्यक्तियों से पेंशन की राशि की वसूली के लिए एक पत्र जारी किया है, जो किसी भी कारण से पात्र नहीं हैं (अनुलग्नक–11)। आदेश दिनांक 21.03.2023 द्वारा संदेहपूर्ण 911 प्रकरणों में से 511 को सही पाया गया है (अनुलग्नक–12)। अपीलार्थी ने वसूली कार्यवाही रोकने हेतु उच्चाधिकारियों से सम्पर्क किया परन्तु उन्होंने वसूली कार्यवाही नहीं रोकी एवं कोई आश्वासन भी नहीं दिया।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी एवं अन्य के खिलाफ निजी शिकायत के आधार पर शुरू की गई वसूली कार्यवाही को अपास्त किया जावे और पत्र दिनांक 15.09.2023 को अपास्त किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उपायुक्त एवं शासन उप सचिव द्वितीय पंचायतीराज विभाग जयपुर के आदेश दिनांक 31/07/2023 की पालना में जिला परिषद् मुख्य कार्यकारी अधिकारी सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 15/09/2023 के अनुसार पंचायत समिति बौंली में अपीलार्थी के पदस्थापन अवधि में समाजिक सुरक्षा योजना में बिना आवेदन पत्र प्राप्त किये अपात्र

व्यक्तियों को अनियमित भुगतान की गयी राशि के संबंध में दायित्व निर्धारण हेतु गठित जांच दल द्वारा दिनांक 22/06/2016 को जांच रिपोर्ट के अनुसार पंचायत समिति बौंली में अपीलार्थी के कार्यवाहक विकास अधिकारी पर कार्यरत् अवधि में राशि 61,95,250 /– रूपये का अनियमित भुगतान किया गया, जो कि वसूली योग्य है, यह राशि 15 दिवस में जमा करवा दें या आपके वेतन से काट कर राजकोष में जमा कराने हेतु संबंधित आहरण वितरण अधिकरी को निर्देशित किया जावेगा। इस प्रकार इस आदेश से प्रमाणित है कि अपीलार्थी ने जो गबन कर राजकोष को हानि पहुँचायी है उसकी जाँच कर दोषी होने पर यह राशि वसूल की जा रही है। जो नियमानुसार सही है। वर्ष 2013–2014 में राज्य सरकार द्वारा पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि 500/– रूपये प्रति व्यक्ति प्रति माह योजना चालू की गयी थी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 15/09/2023 के द्वारा अपीलार्थी सत्यनारायण मीना तत्कालीन विकास अधिकारी पंचायत समिति बौंली को कार्यवाहक विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत् अवधि में अनियमित भुगतान राशि 61,95,250/– के लिये वसूली योग्य माना गया है। जो कि अपने पद का दुरूपयोग कर राजकोष को नुकसान कर मिली भगत कर गबन किया गया। पैसा वसूली के लिये नियमानुसार सही है। अपीलार्थी और अस्थायी रूप से कार्यरत् कम्प्यूटर ऑपरेटर के साथ मिल कर भुगतान फर्जी तरीके से किया गया। जो कि कम्प्यूटर ऑपरेटर व अन्य के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी है, अभी पुलिस इसकी जॉच कर रही है। जिसकी प्रति अपील में संलग्न है। जाँच रिर्पोट दिनांक 16/06/2016 के अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् सवाई माधोपुर के आदेशानुसार अपीलार्थी से अनियमित भुगतान राशि की वसूली की जानी है। जॉच रिर्पोट की प्रति अनुलग्नक–आर/1 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी को विभाग के आदेश दिनांक 06/04/2022 के अनुसार तीन वार्षिक वेतन वृद्वि रोकने का दण्ड दिया गया है। यह दण्ड देने से अपीलार्थी द्वारा किये गये गबन राशि 61,95,250/– की वसूली नहीं होती। अपीलार्थी द्वारा यह अपील में स्वीकार किया गया है, कि उसके लिये उसको दण्ड दिया जा चुका है। इससे जाहिर है, कि अपीलार्थी द्वारा राजकोष को नुकसान पहुँचाया गया है। जिसकी प्रति अनुलग्नक–आर/2 पर उपलब्ध है। जांच कमेटी द्वारा दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2015 की अवधि में स्वीकृत अपात्र पेंशन धारियों की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसमें दिनांक 01.04.2014 से 14.10.2014 तक स्वीकृत अपात्र पेंशन के समय अपीलार्थी विकास अधिकारी बौंली के पद पर कार्यरत थे। इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज है। विकास अधिकारी बौंली ने पत्र दिनांक 21.03.2023 द्वारा 911 अपात्र पेंशन धारियों में से 551 को पात्र माना गया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अब्दुल सलाम बनाम महाराणाप्रताप विश्वविद्यालय, डब्लू.एल.सी.–2004 यू.सी. पेज न. 621 रिट न. 1377/2003 आदेश दिनांक 24.02.2004 को यह निर्णय दिया कि राजकोष को हानि

पहुंचायी है तो रिकवरी की जा सकती है, ऐसे कर्मचारी को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में उपायुक्त एवं शासन उप सचिव द्वितीय पंचायतीराज विभाग जयपुर के आदेश दिनांक 31/07/2023 की पालना में जिला परिषद् मुख्य कार्यकारी अधिकारी सवाई माधोपुर के आलोच्य आदेश दिनांक 15/09/2023 को चुनौती दी गई है, जिसके अनुसार पंचायत समिति बौंली अपीलार्थी के पदस्थापन अवधि में समाजिक सुरक्षा योजना में बिना आवेदन पत्र प्राप्त किये अपात्र व्यक्तियों को अनियमित भुगतान की गयी राशि के संबंध में दायित्व निर्धारण हेतु गठित जांच दल द्वारा दिनांक 22/06/2016 को जांच रिपोर्ट के अनुसार पंचायत समिति बौंली में अपीलार्थी के कार्यवाहक विकास अधिकारी बौंली पर कार्यरत् अवधि में राशि 61,95,250 /– रूपये का अनियमित भुगतान को वसूली योग्य माना है की वसूली कार्यवाही की जा रही है। जिसके संबंध में अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के विरूद्ध सीसीए नियम के तहत कार्यवाही करते हुए तीन वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से भी रोकी गई है। प्रत्यर्थी विभाग ने जवाब में अंकित किया है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर अनियमित भुगतान अपीलार्थी से वसूल करना है। उसके वसूली के आदेश जारी किये गये है तथा इस प्रकरण में एफआईआर भी दर्ज है। अपीलार्थी के संबंध में जो वसूली आदेश जारी किये गये है जो नियमानुसार जारी आदेश है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अब्दुल सलाम बनाम महाराणाप्रताप विश्वविद्यालय, डब्लू.एल. सी. –2004 यू.सी. पेज न. 621 रिट न. 1377/2003 आदेश दिनांक 24/02/2004 को यह निर्णय दिया कि राजकोष को हानि पहुँचायी है तो वसूली की जा सकती है, ऐसे कर्मचारी को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती।

पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी पंचायत समिति बौंली जिला सवाईमाधोपुर में प्रकरण के अधीन जांच अवधि में दिनांक 01.04.2014 से 14.10.2014 तक कार्यवाहक विकास अधिकारी पदस्थापित रहा है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पंचायत समिति बौंली में सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2015 की अवधि ममें अनियमित रूप से ऑनलाईन स्वीकृत पेंशन प्रकरण की जांच कराये जाने पर यह पाया कि योजना में स्वीकृति जारी किए गये पेंशन प्रकरणों में 911 के आवेदन पत्र ही उपलब्ध नही थे। साथ ही जांच रिपोर्ट में पेंशन स्वीकृति में की गई अन्य अनियमितताओं का भी अंकन है एवं 911 प्रकरणों में अपात्र व्यक्तियों को बिना आवेदन पत्र प्राप्त किए 6809000/– रु का अनियमित भुगतान किया जाना बताया। जांच रिपोर्ट प्रत्यर्थी विभाग के जवाब के सलंग्न अनुलग्नक–आर/1 है। इसमें से अपीलार्थी की पदस्थापन अवधि में बिना आवेदन प्राप्त किए 720 अपात्र व्यक्तियों को

पेंशन स्वीकृत कर 61,95,250/– रु के अनियमित भुगतान एवं इस संबंध में अन्य अनियमितताओं के लिए अपीलार्थी को सीसीए नियम 16 के तहत आरोप जारी कर विभागीय जांच की गई। विस्तृत जांच में आरोप प्रमाणित पाये कि अपीलार्थी ने 720 अपात्र व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृतियाँ जारी की गई एवं उसे तीन वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाने के दण्ड से दंडित किया गया (अनुलग्नक–आर/2)। अपीलार्थी द्वारा इस दण्डादेश के विरूद्ध सक्षम स्तर पर अपील किए जाने संबंधी कोई कथन नहीं किया। प्रकरण में पुलिस थाना बौंली में विकास अधिकारी बौंली द्वारा एफआईआर दर्ज की जाना प्रतिवेदित है यद्यपि इसमें अपीलार्थी को नामजद नहीं किया गया है। अपीलार्थी की तरफ से प्रस्तुत कथन में भी स्टॉफ द्वारा पासवर्ड का प्रयोग करने एवं कार्य अधिकता के कारण जानबूझकर गलती नहीं करने का कथन किया है।

स्पष्ट है कि प्रकरण में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रकरण की विस्तृत जांच करने एवं उसके पश्चात अपीलार्थी के विभागीय जांच में दोषी पाये जाने के उपरान्त अपीलार्थी के विरूद्ध पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान कर वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। गलत स्वीकृतियाँ जारी कर राजकोष के दुरूपयोग करने का कृत्य गंभीर प्रकृति का है। इससे राजकोष का नुकसान हुआ है जिसकी वसूली कार्यवाही समुचित जांच कार्यवाही अपीलार्थी को विभागीय जांच में दोषी पाये जाने के उपरान्त की जा रही है। अपीलार्थी कार्य के अधिकता, अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा अपीलार्थी के पासवर्ड का गलत प्रयोग करने एवं जानबूझकर गलती नहीं करने के कथन के आधार पर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। अपीलार्थी का यह कथन कि उसे विभागीय जांच में दंडित किया जा चुहा है। अतः उसी आरोप पर उससे वसूली की कार्यवाही नहीं की जा सकती अर्थात् दोहरे रूप से दंडित नहीं किया जा सकता। उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा अजीत सिंह जाट बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य WP (S) No 4980/2009 में पारित निर्णय दिनांक 01.07.2021 प्रस्तुत किया जिसमें एक ही कृत्य के लिएदो लघु दण्ड देने के आधार पर याचिका स्वीकार कर वसूली के दण्डादेश को अपास्त किया है। हस्तगत प्रकरण में विभागीय जांच में तीन वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्डादेश दिया गया है। हस्तगत अपील में अपीलाधीन आदेश अनियमित रूप से भुगतान कर राजकोष को पंहुचाई हानि की राशि वसूल किए जाने के संबंध में है, जो सीसीए नियमों के तहत दण्डादेश की श्रेणी में नहीं आता है। अतः वसूली की कार्यवाही नियमानुसार पाई जाती है।

पत्रावली पर अपीलार्थी की तरफ से विकास अधिकारी पंचायत समिति बौंली द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति मलारना डूंगर को प्रेषित पत्र दिनांक 21.05.2024 की प्रति प्रस्तुत की जिसके अनुसार अपीलार्थी श्री सत्यनारायण मीणा एवं अन्य विकास अधिकारी श्री विजय सिंह चौहान के द्वारा स्वीकृत अपात्र पेंशन से राशि वसूली करने का

ब्यौरा अंकित है। इससे पाया जाता है कि अनियमित/अपात्र व्यक्तियों को स्वीकृत पेंशन एवं भुगतान राशि में से कुछ राशि वसूली कर की गई है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के आलोक में हम यह पाते है कि अपीलार्थी द्वारा बिना आवेदन प्राप्त किए अपात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत कर भुगतान कर राजकोष को नुकसान पंहुचाया गया है। अतः प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस राशि की वसूली की कार्यवाही नियमानुसार होने से हम इसमें कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है परन्तु प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित करते है कि पत्रावली पर उपलब्ध विकास अधिकारी पंचायत समिति बौंली के पत्र दिनांक 21.05.2024 के अनुसार यदि अपीलार्थी से वसूली की जाने वाली राशि में से कोई राशि, यदि संबंधित अपात्र व्यक्ति जिसे गलत पेंशन स्वीकृत कर भुगतान किया गया है, से वसूली की जाकर राजकोष में जमा की जा चुकी है, उसे घटा कर शेष राशि अपीलार्थी से वसूली की कार्यवाही की जावे। उक्तानुसार अपील निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य